प्रार्थना पत्र

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार,
मुख्यमंत्री सचिवालय,
बिहार, पटना।

दिनांकः—14.11.2024

विषय— प्रार्थी के जमीन के साथ हुई कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी, जालसाजी व विरोधियों के द्वारा जान से मारने की धमकी और मारपीट करने की योजना, अन्य साजिश के विरुद्ध मामले का संज्ञान लेते हुए हमारी जान—माल की रक्षा—सुरक्षा तथा उचित एवं सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करवाने के संदर्भ में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी रामाकांत उपाध्याय पिता स्व. अवधराज उपाध्याय ग्राम व पोस्ट चन्दवा, थाना नवादा, जिला भोजपुर आरा का निवासी है। मौजा चन्दवा, आरा में खाता नं 113, खेसरा नं 512, रकवा 25 डी0 जमीन सन् 1965 में दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी की माँ श्रीमती चन्द्री कुवँर (चन्द्री देवी) को बाकायदा प्राप्त हुई थी। प्रार्थी की माँ के निधन के बाद उक्त जमीन पर प्रार्थी व प्रार्थी के बड़े भाई श्री कृष्णदेव उपाध्याय, छोटे भाई मुखदेव उपाध्याय व विष्णु शंकर उपाध्याय का नाम दर्ज हो गया तथा आज भी कायम मुकाम चला आ रहा है। संबंधित जमीन पर प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनों का कब्जा—दखल के साथ जमाबंदी संख्या—148 के दस्तावेजों में भी नाम अंकित है। इसी के साथ ही उक्त जमीन पर हमलोगों ने यूनीयन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा—पकड़ी चौक से आवश्यकता अनुसार भूमि ऋण भी ले रखा है जो रजिस्टर्ड है, बावजूद इसके प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार से बेवजह दुर्भावना व द्वेष रखने वाली श्रीमती हीरा देवी (हीरामुनि), उम्र 74 वर्ष पति श्री श्यामानंद ओझा, पता—संजय गांधी नगर रोड नं 2, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना—800020, बिहार व प्रार्थी के पड़ोसी प्रकाश तिवारी पिता श्री संतोष तिवारी ने मंतोष कुमार तिवारी पिता स्व. रामाश्रय तिवारी, ओमप्रकाश गुप्ता पिता स्व. ईश्वरदयाल शाह, तीनों निवासी ग्राम चन्दवा, आरा, एवं ब्रजेश कुमार पिता श्री श्यामानंद ओझा पता संजय गांधी नगर रोड नं 2, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना—800020, बिहार के साथ मिलकर साजिश की व प्रार्थी और उनके भाईयों की उपरोक्त जमीन को कूटरचित और तथ्यों से परे झूठें कागजातों के आधार पर फर्जी तरीकें से रजिस्ट्री (बैनामा) कर दिया। जो गैर—कानूनी व विधि विरूद्धघोर अपराधिक कृत्य है। प्रार्थी को जब इस धोखाधड़ी और जालसाजी के बारे में पता चला तो प्रार्थी ने उक्त जमीन की हुई फर्जी रजिस्ट्री से संबंधित जानकारियां प्राप्त की तो हैरान रह गया। अब स्थिति यह है की प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी के आपराधिक कार्य को अंजाम देने के बाद श्रीमती हीरा देवी (विक्रेता) व प्रकाश तिवारी (क्रेता) इस प्रार्थना पत्र में लिखे अन्य आपराधिक प्रवृत्ति एवं भू माफिया सरीखे साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी व उसके परिजनों के साथ कोई बड़ा अपराध कर के नुकसान पहुंचाने के फिराक में लगे हुए हैं तथा कोई भी षड़यंत्र करके प्रार्थी की उपरोक्त जमीन को नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहते हैं तथा प्रार्थी के एकमात्र पुत्र रविरजंन उपाध्याय एवं अन्य परिजनों के साथ दुर्व्यवहार जैसे गाली—गलौज, जान से मारने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पुत्र की हत्या व झूठे मुकदमों में फँसाने का मनसूबा रखते हैं। उपरोक्त जमीन की हुई फर्जी रजिस्ट्री के प्रपत्रों के अनुसार जमीन के अंश भाग का विक्रय करने वाली श्रीमती हीरा देवी का संबंधित जमीन से कोई वास्ता सरोकार नही है और ना ही किसी अभिलेखों में इनका नाम दर्ज है। संबंधित जमीन को खरीदने वाले प्रार्थी के पड़ोसी श्री प्रकाश तिवारी को सभी सत्य बातों को जानकारी पहले से थी फिर भी धोखाधड़ी, जालसाजी करने की

नियत से इन्होंने कथित तौर पर उक्त जमीन की रजिस्ट्री श्रीमती हीरा देवी (हीरामुनि) से अपने नाम पर कारवाई जो प्रार्थी के साथ षड्यंत्र का एक हिस्सा है। इनलोगों का एक नाजायज गिरोह है जो इस प्रकार के अपराधों को करने में लिप्त रहता है। संबंधित जमीन की हुई फर्जी रजिस्ट्री (बयनामा) के कागजातों की छायाप्रति व जमीन के जमाबंदी रसीद की छायाप्रति जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी की तीनों भाइयों का नाम नियमानुसार अंकित है, ये सभी इस प्रार्थना पत्र के अवलोकनार्थ संलग्न है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी आप श्रीमान जी के संज्ञान में यह भी लाना चाहता है कि, प्रार्थी के जमीन की फर्जी रजिस्ट्री में प्रयोग स्थलीय चित्र (फोटो) भी प्रार्थी की जमीन की नही है और चौहद्दी भी इनलोगों के द्वारा गलत दर्शाया गया है।

अतः आप श्रीमान जी से सादर और सविनय निवेदन है कि, प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र पर न्यायपूर्वक संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से प्रार्थी के उपरोक्त जमीन के साथ कूटरचित झूठे कागजातों के आधार पर खरीद विक्रय की हुई धोखाधड़ी व जालसाजी के अपराध प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनों को जान से मारने और फर्जी मुकदमों में फंसा दिए जाने की धमकी के विरुद्ध, अनाधिकृत विक्रेता श्रीमती हीरा देवी (हीरामुनि) उम्र 74 वर्ष पति श्री श्यामानंद ओझा, पता संजय गांधी नगर रोड नं0–2, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना–800020, बिहार तथा अनाधिकृत क्रेता श्री प्रकाश तिवारी, पिता श्री संतोष तिवारी सहित इस अपराध में संलिप्त अन्य साजिशी व्यक्तियों, मंतोष कुमार तिवारी पिता स्व0 रामाश्रय तिवारी, ओम प्रकाश गुप्ता, पिता स्व0 ईश्वरदयाल शाह, दोनों निवासी ग्राम चन्दवा, आरा, भोजपुर एवं ब्रजेश कुमार, पिता श्री श्यामानंद ओझा पता संजय गांधी नगर रोड नं0–2, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना–800020 तथा अन्य कई अज्ञातों के विरुद्ध विधि संवत् धाराओं में प्रथम सुचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही को अमल में लावे। इसलिए यह प्रार्थना पत्र आप श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि, प्रार्थी और उसके परिजनों के साथ उचित न्याय हो सके और भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृति न हो सके। इस कार्य के लिए आप महोदय का हम पर महती कृपा होगी ।

संलग्नक सूचीः–
1. **संबंधित जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के कागजातों की छायाप्रति**
2. **उपरोक्त जमीन से संबंधित जमाबंदी रसीद की छायाप्रति जिसमें प्रार्थी व उनके भाइयों के नाम अंकित हैं।**

प्रार्थी

रामाकान्त उपाध्याय

(रामाकांत उपाध्याय),
पिता–स्व0 अवधराज उपाध्याय,
निवासी ग्राम+पोस्ट–चन्दवा,
थाना–नवादा आरा
जिला भोजपुर, बिहार–802312,
मोबाइल–7979023794
14.11.24

प्रतिलिपिः–1.माननीय मंत्री, भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग, बिहार, पटना।
2.जिला पदाधिकारी–सह–जिला दण्डाधिकारी, भोजपुर।
3.न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर आरा।
4.पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, पटेल, भवन बिहार, पटना।
5.पुलिस महानिरीक्षक, मगध रेंज, गया।
6.पुलिस उपमहानिरीक्षक, शहाबाद रेंज, डिहरी।
7.पुलिस निरीक्षक, भोजपुर, आरा, बिहार।

मुख्यमंत्री सचिवालय

CM Secretariat
Bihar

2024060501

दिनांक :- 14-Nov-2024

डायरी संख्या :- 2024060501

नाम :- Ramakant Upadhyay

संपर्क सूत्र :- 7979023794

समर्पित आवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी निम्न प्रकार प्राप्त की जा सकती है :-

1. प्राप्ति रसीद पर अंकित QR Code स्कैन कर |
2. आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर प्राप्त SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर |
3. वेबसाइट https://cmsonline.bihar.gov.in के सर्च विकल्प में बार कोड संख्या दर्ज कर |
4. प्राप्ति रसीद में अंकित बार कोड को मुख्यमंत्री सचिवालय में स्थापित KIOSK मशीन में स्कैन कर |

नोट :- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति रशीद है| इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है |

संपर्क सूत्र : 4,देशरत्न मार्ग, पटना, बिहार, पिनकोड : 800001
E: cmbihar@nic.in, P: +91 (612) 2215601, 2217289

हिरा देवी बनाम प्रकाश तिवारी

T.N. 16084 S.N. 15859 D.N. 15626 Date 18.10.24

N.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

2238 19/10/24 निलेश कुमार सिन्हा (कोईलवर) भोजपुर

AL 852516

Treasury Officer
04 OCT 2024
BHOJPUR, ARRAH

18979 – 18981
25/10/2024

रवीन्द्र प्रसाद राय
मुद्रांक विक्रेता ला०नं० 1/97-
रजिस्ट्री ऑफिस, आरा (भोजपुर)

जिला अवर निबंधन कार्यालय
भोजपुर, आरा

25/10/24

निलेश कुमार सिन्हा

18979	100
18980	100
18981	500
कुल	700

सात सौ

25-10-2024

निलेश कुमार सिन्हा

सच्ची-छायाप्रति
25/10/24
संयुक्त अवर निबंधक
भोजपुर, आरा

25/10/24

Serial No. 15859 Circle:-:Ara(Urban)

Book No. :- 1 Deed No. 15626

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

A 325333

Serial No. 15859

BHOJPUR, ARRAH

Deed No. 15626

Govt. of Bihar

District Registry Office, Ara(Bhojpur)

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **18/10/2024** by **Prakash Tiwari**
A Stamp Duty of Rs. **163178**/- and other Fees of Rs. **42336**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **15626** in Book No. **1**, Volume No. **259** on pages from **196** to **205** and has been preserved in total **10** pages in C.D. No. **40** / Year **2024**

Date: 18/10/2024

Token No: 16084 /2024

Signature with Date
(Tarkeshwar Pandey)
Registering Officer, Ara(Bhojpur)

जिला निबंधन कार्यालय भोजपुर, आरा

18.10.24

16084/24

बिक्रय-पत्र

(Sale Deed)

यह बिक्रय-पत्र आज दिनांक- 17-10-24
ई0 को निम्नांकित लेख्यकारी के द्वारा निम्नांकित
लेख्यधारी के पक्ष में निष्पादित किया गया है ।

सच्ची छायाप्रति

संयुक्त अवर निबंधक
भोजपुर, आरा

District Registry Office,Ara(Bhojpur)

ken Number 16084	Reg. Year 2024	Serial Number 15859	Deed Number 15626

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Presented By	Prakash Tiwari Sig. प्रकाश तिवारी 18/10/2024						
Claimant	Prakash Tiwari Sig. प्रकाश तिवारी 18/10/2024						
Executant	Hira Devi Sig. हीरा देवी 18/10/2024						
Identified By	Brajesh Kumar Sig. ब्रजेश कुमार 18/10/2024						

SCORE Ver.4.0 Powered by IL&FS Technologies Ltd. Biometric Captured By 2900sop065

जिला निबधन कार्यालय
सत्यमेव जयते
भोजपुर, आरा

प्रकाश तिवारी
18.10.2024

पढ़ा

मिलान किया

सच्ची-छायाप्रति
संयुक्त अवर निबंधक
भोजपुर, आरा

1. लेख्यकारी (विक्रेता) का नाम :-

हीरा देवी उम्र-74 वर्ष लगभग पति - श्यामानंद ओझा, जीवित, दोख्तर - स्व0 अवध राज उपाध्याय, जाति-ब्राह्मण, पेशा -गृहिणी, निवास स्थान ग्राम + पोस्ट - चन्दवा, आरा थाना -नवादा आरा जिला - भोजपुर, वर्तमान पता - संजय गांधी नगर रोड नं0- 2, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना -800020, राज्य - बिहार (भारतीय)

आधार नं0-3368 5291 9994 मो0-8809522856

PAN - BDQPD5755B

2. लेख्यधारी (क्रेता) का नाम :-

प्रकाश तिवारी उम्र- 34 वर्ष लगभग पिता -संतोष तिवारी, जीवित, जाति-ब्राह्मण, पेशा- नौकरी, साकिन + पोस्ट- चन्दवा आरा, थाना -नवादा आरा, जिला - भोजपुर राज्य - बिहार राष्ट्रीयता - भारतीय ।

आधार नं0-4756 1533 5233 मो0-8863911166

PAN - AYAPT5608B

3. विलेख का प्रकार :- निर्विवाद विक्रयपत्र (Absolute Sale deed)

4. कुल मूल्य :- मो0 19,66,000/- (उनीस लाख छियासठ हजार रूपया) मात्र ।

5. सम्पति का विवररण :- एराजी मवाजी 2.656 डी0 (दो दशमलव छः-पांच-छः डिसमिल) यानि 17 धुर अवर निबंधन कार्यालय वो जिला निबंधन कार्यालय -आरा, जिला - भोजपुर,

हीरा देवी 17-10-2024

सच्ची-छायाप्रति

संयुक्त अवर निबंधक भोजपुर, आरा

मिलान किया

पढ़ा

मौजा	थाना नं0	थाना	अंचल	हल्का
चन्दवा	234	आरा नवादा	आरा	शहरी क्षेत्र

पुराना वार्ड नं0	नगर निगम वार्ड नं0
12	14

पु0 खाता	पु0 खेसरा	रकबा	चौहदी :-
113 एक सौ तेरह	512 पांच सौ बारह	2.656 डी0 (दो दशमलव छः-पांच-छः डिसमिल) यानि 17 धुर	उ0 -निज विक्रेता द0- प्रकाश तिवारी पू0- ढ़लाई रास्ता प0 -श्यामनारायण तिवारी वगैरह

कुल एराजी -2.656 डी0 (दो दशमलव छः-पांच-छः डिसमिल) यानि 17 धुर

किस्म जमीन- व्यवसायिक परती । संरचना मुक्त

जमाबंदी विक्रेता के भाई कृष्णदेव उपाध्याय वगैरह के नाम से दर्ज है जिसका जमाबंदी नं0-148 पेज नं0-148 भाग वर्तमान-11 है

लगान - 30 पैसे अलावे शेष ।

यह एराजी चन्दवा मुसहर टोली में ढ़लाई मुख्य सड़क पर स्थित है । मुख्य सड़क व्यवसायिक परती का मूल्य दिया गया है ।

लेख्य सम्पति लाल रंग से रेखांकित एक नजरी नक्शा इस विलेख के साथ संलग्न है जो इस विलेख का अभिन्न अंग रहेगा ।

पक्ष

मिलान किया

सच्ची छायाप्रति

संयुक्त अवर निबंधक भोजपुर, आरा

संदर्भ

चूं उपर लिखि एराजी लेख्यकारी की मौरूसी खतियानी सम्पति है । सर्वे खतियान में विक्रेता के पूर्वज रामवृक्ष तिवारी के नाम से दर्ज है । रामवृक्ष तिवारी की दो पुत्री लक्ष्मीणा देवी वो चन्द्री कुंअर हुए । चन्द्री कुंअर के चार पुत्र कृष्णादेव उपाध्याय वो रामाकान्त उपाध्याय, विष्णुशंकर उपाध्याय वो मुखदेव उपाध्याय वो एक पुत्री हीरा देवी हुए । माता की मृत्यु के बाद विक्रेता को आपसी खानगी बांट से खास हिस्से में मिली एराजी है जिस पर लेख्यकारी का दखल कब्जा निर्विवाद रूप से कायम है । इस तरह विक्रेता अपने परिवार के हित में परिवार के कर्ता के हैसियत से परिवार के आवश्यक कानूनी खर्चों की पूर्ति हेतु लेख्य संपति विक्रय करने का पूर्ण अधिकार विक्रेता धारित करते है ।

विक्रेता को तत्काल दूसरी जगह जमीन खरीदने, मकान बनाने तथा अन्य प्रकार के आवश्यक कानूनी पारिवारिक खर्चों की पूर्ति करने हेतु दूसरा कोई विकल्प नहीं रहने के कारण अपने परिवार के कनीय तथा वरीय सदस्यों के हित में इस विलेख की सम्पति का विवरण शीर्षक में वर्णित सम्पति के विक्रय करने की घोषणा कर प्रचार किया जिस पर अन्य ग्राहकों के साथ क्रेता से भी बाते हुई । इस विलेख के क्रेता के बराबर अथवा इसके अधिक मूल्य देने के लिए अन्य कोई दूसरा ग्राहक तैयार नहीं हुए ।

फलतः बिना किसी लोभ प्रलोभन दबाव, धमकाव के तथा पूर्ण मानसिक संतुलन एवं शारीरिक स्वस्थता की स्थिति में कंडिका-4 में वर्णित प्रतिफल रूपये में अपनी लाभ-हानियों को भली भांति समझ बुझ कर क्रेता के साथ विक्रय की बातचीत पक्की की है जो प्रचलित बाजार मूल्य के समतुल्य है ।उपरोक्त सम्पति किसी भी प्रकार के विघ्न, प्रतिबंध, ऋणभार एवं बाधा आदिसे पूर्णतः मुक्त एवं स्वतंत्र है तथा विक्रेता इस क्रेता को बेचने एवं हस्तान्तरित करने हेतु सहमत हो चुके है और इस सम्पति को विक्रय करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है । विक्रेता को प्रतिफल के रूप में मो0 19,66,000/- (उनीस लाख छियासठ हजार रूपया) मात्र प्राप्त होना निश्चित हुआ है। विक्रेता उक्त प्रतिफल की कुल धनराशि नगद प्राप्त कर चुके है ।

यह विक्रय विलेख साक्ष्य है कि :-

1. यह कि उक्त वर्णित ढंग से प्रतिफल की धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात विक्रेता क्रेता को सम्पति का विवरण कंडिका-5 में अंकित भू-खण्ड हमेशा के लिए मूल्य के बदले विक्रय वो हस्तांतरित करते है । इस सपंति के संबंधित सभी सुखाधिकार तथा धन प्राप्ति के अधिकार या अन्य के सभी अधिकार जो विक्रेता को प्राप्त थे या भविष्य में होते वो सभी क्रेता को प्राप्त हो गये है ।
2. यह कि उक्त सम्पति (कंडिका-5 में वर्णित) को धारण एवं भोग करने का अधिकार का त्याग क्रेता के पक्ष में करते हुए संपति क्रेता को सौंप दी है तथा कब्जा प्रदान कर दिया है । क्रेता इस संपति को बिना किसी प्रतिबंध, विघ्न, ऋणभार एवं बाधारहित संपति का पूर्ण उपभोग स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार कर सकेगा ।

निबंधन कार्यालय भोजपुर, आरा
17-10-2024
सच्ची-छायाप्रति
मिलान किया
संयुक्त अवर निबंधक भोजपुर, आरा
पढ़ा

3. यह कि विक्रेता या अन्य कोई व्यक्ति विक्रेता के माध्यम से विक्रय सम्पति के संबंध में किसी प्रकार के अधिकार, उन्मुक्ति या विशेषाधिकार का दावा करते थे तो वह दावा इस विक्रय विलेख के आधार पर अवैधानिक, अमान्य व शून्य होगा ।

4. यह कि यदि विक्रय विलेख में किसी प्रकार की त्रुटि होने के कारण क्रेता को संबंधित संपति अथवा उसके कुछ भाग अथवा उसके साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित होना पड़ता है तो विक्रेता क्रेता को उस सीमा तक हानि या हानियों जो वास्तविक रूप में होगी की क्षतिपूर्ति अपनी तत्कालीन अन्य अस्तित्व में रहने वाली चल या अचल या दोनों संपत्तियों के द्वारा करने का उत्तदरायी होगा ।

5. यह कि विक्रेता इस सम्पति को क्रेता द्वारा धारण या उपभोग करने के संबंध में भविष्य में समय-समय पर किये जाने वाले आवश्यक कार्यों का दायित्व क्रेता को हस्तांतरित करते है।

6. यदि विक्रय विलेख के पंजीकरण के पश्चात किसी भी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की इस संपति पर निकलती है अथवा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार का शूल्क, टैक्स, लगान, किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के मांगे जाते है तब विक्रेता उक्त राशि को स्वयं जमा करेगा । ऐसा न करने पर क्रेता उक्त राशि को विक्रेता अथवा उसकी संपति से वसूल लेगें ।

7. यह कि लेख्य संपति किसी भी प्रकार से न तो विवादग्रस्त और न सरकार द्वारा अर्जित की है यह पूर्णरूपेण निर्विवाद है ।

8. यदि किसी कारण यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी, न्यायालय फोरम अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित कर दिया जाता है तब क्रेता विक्रेता से प्रतिफल की राशि बैंक दर पर व्याज सहित तथा अन्य प्रकार की क्षतियों की राशि वसूल पाने का अधिकारी होगें ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस विलेख में निहित संपति भूमि सभी प्रकार के ऋण भार एवं स्वत्व दोष से मुक्त है और न खास महाल गैर मजरूआ सिलिंग, भूदान, लाल कार्ड, केशरे हिन्द, धार्मिक न्यास बोर्ड, वक्फ बोर्ड एवं अन्य किसी प्रकार की सरकारी भूमि है जो भूमि सरकारी अर्जन एवं निबंधन से मुक्त है ,भविष्य में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पायी जायेगी तो उसके लिए इस विलेख के लेख्यकारी जिम्मेवार एवं जवाबदेह होगें ।

इस प्रकार लेख्यकारी ने अपने तन मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी स्वेच्छा से विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

जिला निबंधन कार्यालय भोजपुर, आरा

17-10-2024

सच्ची-छायाप्रति

संयुक्त अवर निबंधक भोजपुर, आरा

मिलान किया

गवाहगण

① ओमप्रकाश गुप्ता
पि० ईश्वर दयाल साह
सा० चन्दवा
थाना नवादा आरा
जिला भोजपुर
17-10-24

② संतोष कुमार तिवारी
सा० पि० रामुनाथ तिवारी
सा० चन्दवा
थाना आरा नवादा
जिला भोजपुर आरा
17-10-2024

विक्रेता का हस्ताक्षर

हीरा देवी
17-10-2024

क्रेता का हस्ताक्षर

प्रकाश तिवारी
17-10-24

प्रारूपकर्ता का हस्ताक्षर

हीरा देवी
17-10-2024

सं त र द धुर
अमीन के चा
हीरा देवी
17-10-2024

जिला निबंधन कार्यालय
भोजपुर, आरा

सच्ची-छायाप्रति
संयुक्त अवर निबंधक
भोजपुर, आरा

मिलान किया

नजरी नक्शा (50 मीटर की त्रिज्या में)

N

S

मौजा	थाना नं0	थाना	अंचल	हल्का
चन्दवा	234	आरा नवादा	आरा	शहरी क्षेत्र

पुराना वार्ड नं0	नगर निगम वार्ड नं0
12	14

पु0 खाता	पु0 खेसरा	रकबा	चौहदी :-
113 एक सौ तेरह	512 पांच सौ बारह	2.656 डी0 (दो दशमलव छः-पांच-छः डिसमिल) यानि 17 धुर	उ0 -निज विक्रेता द0- प्रकाश तिवारी पू0- ढ़लाई रास्ता प0 -श्यामनारायण तिवारी वगैरह

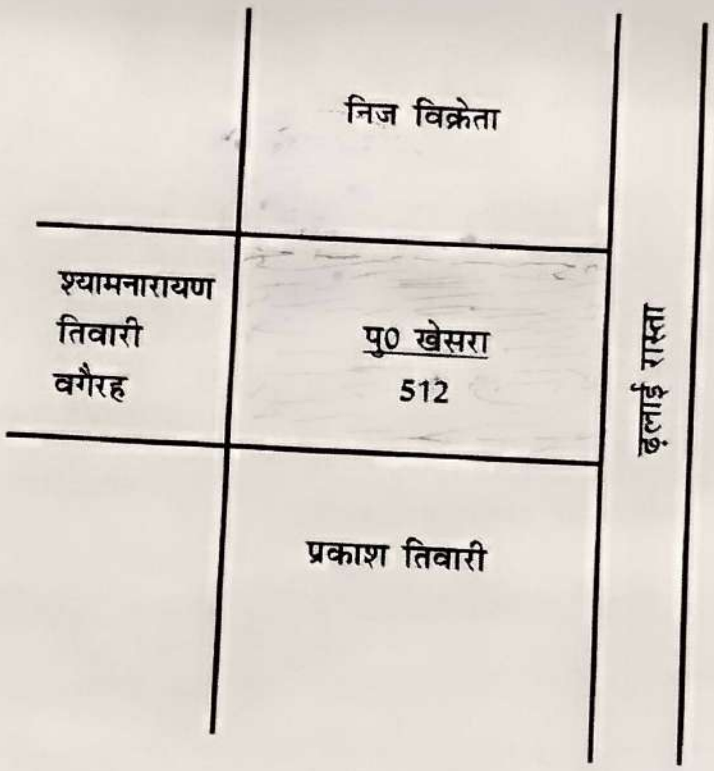

जिला निबंधन कार्यालय भोजपुर, आरा

विक्रेता का हस्ताक्षर
हीरा देवी
17-10-2024

क्रेता का हस्ताक्षर
प्रकाश तिवारी
17-10-24

सच्ची-छायाप्रति
संयुक्त अवर निबंधक
भोजपुर, आरा

मिलान किया

स्थल जाँच पंजी क्रमाक–

टोकन नं0– 11184
18/10/24

फोटोग्राफ

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दस्तावेज में वर्णित भूमि को ही स्थल जाँच के समय दिखाया गया है। कोई भी त्रुटि होने पर मै दण्ड का भागी होऊँगा / होऊँगी

हीरा देवी
18-10-2024
बिक्रेता का हस्ताक्षर

प्रकाश तिवारी
18/10/2024
क्रेता का हस्ताक्षर

जाँचकर्त्ता का रिपोर्ट एवं हस्ताक्षर

इस भूमि का स्थल जाँच निम्नवर्गीय लिपिक श्री पंकज कुमार के द्वारा किया गया है।

Ranjit
18.10.24
जाँचकर्त्ता का हस्ताक्षर

जिला निबंधन कार्यालय
सत्यमेव जयते
भोजपुर, आरा

सच्ची-छायाप्रति

पढ़ा

मिलान किया

INDIA NON JUDICIAL

Government of Bihar

e-Stamp

Certificate No.	: IN-BR-24019228911
Certificate Issue Date	: 17-Oct-2024 01:55 PM
GRN No.	: BHR20241000230873E, BHR20241000491731E, BHR20241000721384E
Unique Doc Reference	: EST-BR-2900-2400018014
Party Name	: PRAKASH TIWARI
Purchased by	: PRAKASH TIWARI
Purpose	: Sale/Conveyance Article no (23)
Stamp Duty Paid (Rs.)	: 158178 (One Lakh Fifty Eight Thousand One Hundred Seventy Eight Only)
Reg. Fee (Rs.)	: 41286 (Forty One Thousand Two Hundred Eighty Six Only)
LLR & P Fee (Rs.)	: 550 (Five Hundred Fifty Only)
Miscellaneous Fee (Rs.)	: 0 (Zero Only)
Discore SC (Rs.)	: 500 (Five Hundred Only)
Total Amount (Rs.)	: 200514 (Two Lakh Five Hundred Fourteen Only)

जिला निबंधन कार्यालय
सत्यमेव जयते
भोजपुर, आरा

IN 2401930077

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at https://enibandhan.bihar.gov.in or using enibandhan Mobile App. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website/Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

पढ़ा

मिलान किया

सच्ची-छायाप्रति
संयुक्त अवर निबंधक
भोजपुर, आरा

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '23'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	**Rs. 123858/-**			
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	**Rs. 39320/-**	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	5000/-
		Amt.paid through Bank Challan	Rs.	200514/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	41286	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
							TOTAL-	41286	

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	500	500
Proc.Fee	50	
Total	550	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 42336

Date: 18/10/2024

Registering Officer
Ara(Bhojpur)

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Ara(Bhojpur) on Friday, 18th October 2024 by Prakash Tiwari Santosh Tiwari by profession Others. Status - Claimant

प्रकाश तिवारी
18/10/2024

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:18/10/2024** **Registering Officer**
Ara(Bhojpur)

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Brajesh Kumar' age '49' Sex 'M', 'Shyama Nand Ojha', resident of 'Vill-Road No-02 Hanuman Nagar Sanjay Gandhi Nagar Kankarbagh , Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 18/10/2024 **Registering Officer**
Ara(Bhojpur)

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Ara(Bhojpur) in Book 1 Volume No. 259 on pages on 196 -205, for the year 2024 and stored in CD volume No. CD-40 year 2024 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 18/10/2024 **Registering Officer**
Ara(Bhojpur)

Token No. : 16084 Year : 2024 S.No. : 15859 SCORE Ver.4.1 Old No . : 15626

जिला निबंधन कार्यालय भोजपुर, आरा सत्यमेव जयते

मिलान किया

सच्ची-छायाप्रति 25/10/24
संयुक्त अवर निबंधक
भोजपुर, आरा

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार

सरकार

ऑनलाइन
Running Unique No.: **09062309020012369007**
(Receipt No.)

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

	अंचल:- **Ara**
जिला:- **Bhojpur**	मौजा :- **चन्दवा**
हल्का:- **शहरी क्षेत्र-2** जमाबंदी सं0:- **148** भाग वर्तमान:- **11** पृष्ठ संख्या:- **148**	मौजा/थाना सं0:- **234**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **कृष्णदेव उपाध्याय वो रामाकांत उपाध्याय ,विष्णु शंकर उपाध्याय वो मुखदेव उपाध्याय** अभिभावक का नाम:- **स्व० अवध राज उपाध्याय ,स्व० अवध राज उपाध्याय**	पता:- **चंदवा ,,**

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
79, 79, 113, 164, 164, 105, 17,20,7,15, 17,20,7,15, 20, 7,15, 125, 105	595, 596, 512, 151, 155, 122, 15,16,10,17, 18,19, 26,30, 11,09, 279, 328	2 एकड़ 78.5 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वितीय वर्ष का

वितीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2023-2024 से 2023-2024
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	43.50	0.00	43.50	0.00	50.00	2023-2024 से 2023-2024
कुल	73.50	0.00	73.50	0.00	80.00	2023-2024 से 2023-2024

वसूली

वितीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	30.00	30.00	2023-2024 से 2023-2024	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	43.50	50.00	2023-2024 से 2023-2024	
कुल	0.00	73.50	80.00	2023-2024 से 2023-2024	

कुल बकाया-80.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Eighty Rupees

तिथि- **09-06-2023**

Without Prejudice

(दाखिल खारिज) के आवेदन पर तहसीलदार या अमीन की रिपोर्ट

नामान्तरण (दाखिल-खारिज) केस सं०

थाना [illegible] — थाना सं० [illegible]

जिला भोजपुर

ग्राम बिहार

... नीचे निकाय, दान, बटवारा या (1) बटवारा द्वारा होल्डिंग का (2) अन्तरण।

उत्तराधिकारी।

विक्री द्वारा अन्तरित क्षेत्र का रकबा — एकड़।

चुकाया गया मूल्य — रूपया।

(3) यहाँ रैयत या महाजन लिखें — खरीददार का पेशा काश्तकार — कोवाला नं० T.S.No 131/1965

संख्या खाता	अभिधारी का नाम	प्लाट संख्या	रकबा	लगान	अभ्युक्ति
	नमांतरण (दाखिल खारिज) के पहले का होल्डिंग				[illegible]
79	मु० [illegible] कुँवर पति-रामदुलारी तिवारी [illegible]	595	0.81		प्रतिवेदित भूमि का
		596	0.17		[illegible]
			0.98		[illegible]
113	"	512	0.51		[illegible]
105		328	0.08		[illegible]
		122	1.01		8050/5-8-44 [illegible]
			1.09		
74	"	138	0.30		[illegible]
6	"	12	0.17		
		10	0.53		
		13	0.19		
	~~नमांतरण (दाखिल खारिज) के बाद मूल होल्डिंग~~				[illegible]
		20	1.16		[illegible]
		54	0.10		[illegible]
15	"	56	0.15		[illegible] T.S.No
			2.13		136/1965 के द्वारा बटवारा
		9	1.13		[illegible]
		14	0.18		[illegible]
		86	0.24		
20	"		1.55		
		30	0.33		
		15	0.10		
		~~16~~	~~0.10~~		
		नया होल्डिंग	0.65		[illegible]
23	"	18	0.04		[illegible] बिहार
		19	0.01		[illegible]
		52	0.30		[illegible]
			0.35		
18	"	17	0.17		[illegible]
125		90	1.08		[illegible]
			1.25		
		279	0.04		[illegible]
7	"	11	0.21		अतः आवेदक [illegible]
164	"	151	0.18		[illegible]
		155	0.15		[illegible]

तहसीलदार का हस्ताक्षर

नक्शे और अभिलेखों में शुद्धि करने की तारीख

प्रपत्र सं०-184

नामान्तरण (दाखिल खारिज) के आवेदन पर तहसीलदार या अमीन की रिपोर्ट का प[illegible]

नामान्तरण (दाखिल-खारिज) केस सं०

[illegible]   थाना [illegible]   थाना सं० 2   जिला [illegible]

[illegible]टेट का नाम [illegible]

(1) लिखें निकाय, दान, बटवारा या (1) [illegible]   द्वारा होल्डिंग का (2)   अन्तरण।

उत्तराधिकारी।

विक्री द्वारा अन्तरित क्षेत्र का रकबा   एकड़।

चुकाया गया मूल्य   रूपया।

खरीददार का पेशा [illegible]   कोवाला नं०-T-[illegible] 136/1963

(3) यहाँ रैयत या महाजन लिखें

संख्या खाता	अभिधारी का नाम	प्लाट संख्या	रकबा	लगान	अभ्युक्ति
	[illegible] नमांतरण (दाखिल खारिज) के पहले का होल्डिंग				[illegible]
79	[illegible]	595	0.40½		[illegible]
"	[illegible]	596	0.08½		[illegible]
113	[illegible]	512	0.26		[illegible]
74	[illegible]	138	0.30		[illegible]
	[illegible]	279	0.02		[illegible]
125	[illegible]	328	0.04		[illegible]
105	"				[illegible]
	~~नमांतरण (दाखिल खारिज) के बाद मूल होल्डिंग~~				[illegible]
6, 17, 15, 23, 20	"	10, 12, 13, 14, 15, 16	1.01		[illegible] 136/1963
20, 23, 18	"	15, 16, 10, 17, 18, 19	0.23½		[illegible]
20	"	26, 30	0.22		[illegible]
7/15	"	11, 09	0.19		[illegible]
			2.76½		[illegible]
	[illegible] नया होल्डिंग				[illegible]
79	[illegible]	595	0.40½		[illegible]
		596	0.08½		[illegible]
113	[illegible]	512	0.25		[illegible]
164	[illegible]	151	0.18		[illegible]
	[illegible]	155	0.15		[illegible]
105	"	122	1.01		[illegible]
17, 20, 7, 15	"	15, 16, 10, 17, 18, 19	0.23½		[illegible]
20	"	26, 30	0.22		[illegible]
7/15	"	11, 09	0.19		
125		279	0.02		
105		328	0.04		
			2.78½		

[illegible signature]

तहसीलदार का हस्ताक्षर

नक्शे और अभिलेखों में शुद्धि करने की तारीख

[illegible] 16 [illegible] 65

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के निम्न बिन्दुओं के आलोक में नामांतरण की अनुशंसा की जा सकती है।

(क) भूमि रैयती है।

(ख) भूमि, गैरमजरुआ, आम, या खास खाते की नहीं है।

(ग) भूमि, न्यास या धार्मिक स्थल से सम्बन्धित नहीं है।

(घ) भूमि क्रेता के शांतिपूर्ण दखल में है।

(ङ) नामांतरण दावा सही है।

अतः एव उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में आवेदक के पक्ष में नामांतरण की —— स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सत्य बात का मामला प्रकाश में आने ही वाद स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

9.7.18

अंचलाधिकारी

आरा सदर

9.7.18

अंचलाधिकारी

आरा सदर

कार्यालय अंचलाधिकारी ★ सदर, आरा

सत्यमेव जयते

आदेश पत्रक

(दैरवे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक सं. ___ से ___ तक

जिला मोतिहारी सं. 2112 सन 17-18

केस का प्रकार - दाखिल खारिज

	आदेश व पदाधिकारी का हस्ताक्षर	इस कार्रवाई सम्बन्धी टिप्पणी तिथि सहित
11.9.18	11.9.18	

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत आवेदन पत्र सं. RTPS 3717/18/8/17 द्वारा आवेदक ___ पिता ___ ग्रा. ___ थाना ___ जिला ___ ने निम्नांकित विवरण की भूमि का नामांतरण हेतु आवेदन दिया है।

मौजा पंचरा, थाना नं. 234

	खाता	खेसरा	रकबा
मु. रूमा देवी पति	79	595	0.40½
स्व. मदन मोहन मिश्र	11	596	0.08½
वो मु. शेफाली देवी	113	512	0.26
पति स्व. विष्णु मोहन	74	138	0.20
मिश्रा वो हरिमिश्र पति	125	279	0.02
स्व. राधिरमन मिश्र	105	328	0.04
	6, 17, 15, 23 / 20	10, 12, 13, 14, 15, 16	1.01
	20, 23, 18 / 20	15, 16, 10, 17, 18, 19	0.23½
	7, 15	26, 30	0.22
		11, 09	0.19
			2.76½ ए०
कृष्णदेव उपाध्याय वो.	79	595	0.40½
रमाकांत उपाध्याय वो.	113	596	0.08½
मनोज उपाध्याय वो विष्णु	164	512	0.25
मोहन उपाध्याय पिता	105	151	0.18
अवध राम उपाध्याय	17, 20, 7, 15	155	0.15
	20	122	1.01
	7, 15	15, 16, 10, 17, 18, 19	0.23½
	125	26, 30	0.22
	105	11, 09	0.19
		279	0.02
		328	0.04
			2.28½ ए०

कर्मचारी व अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की मांग करें।

11.9.18
अंचलाधिकारी

प्रतिवेदन प्राप्त ___ ___ असीइक का कारण ___

LAND POSSESSION CERTIFICATE

403/426

Place ....

Date....15-2-19

Certified that Shri Krishna Dev Upadhyay, Ramakant Upadhyay, Mukhdev Upadhyay and Vishnu Sankar Upadhyay of Village Chandwa, Ara

S/o Late Asadharaj Upadhyay .... whose signature is attested ....

P.O. Chandwa, Ara District Bhojpur ....

under his possession as per land schedule given below the revenue of the land under ....

reference has been paidup to the year 2018 .... 2019 ....

LAND SCHEDULE

Mauza Thana No.	Tauzi No.	Khata No.	Khesara No.	AREA AC	D	BOUNDRY N	S	E	W
चन्दवा थाना संख्या-234	10306	79	595	0	40.5	निज	जंगबहादुर लाल	शंभुनाथ तिवारी	शशिभूषण मिश्रा
		79	596	0	8.5	रामलखन भगत (बांध)	निज	रामलखन भगत	शशिभूषण मिश्रा
	10309	113	512	0	25	शशिभूषण मिश्रा	रामपूजन तिवारी	सड़क	रामेश्वर तिवारी
	10310	164	151	0	18	तुंगनाथ तिवारी	ऐजन	ऐजन	राजकुमार तिवारी
	10310	164	155	0	15	रामेश्वर तिवारी	तुंगनाथ तिवारी	तुंगनाथ तिवारी	राजकुमार तिवारी
	10308	105	122	1	01	बैकुंठ तिवारी	परशुराम तिवारी	डगर	जगजीवन राम
	163	17,20,7,15	15,16,10,17,18,19	0	23.5	नदी	शशिभूषण मिश्रा	शशिभूषण मिश्रा	बम्हा तिवारी
	163	20	26,30	0	22	ब्रम्हा तिवारी	बालेश्वर तिवारी	शशिभूषण मिश्रा	शिवनन्दन तिवारी
	163	7,15	11,09	0	19	शशिभूषण मिश्रा	छोटन तिवारी	शशिभूषण मिश्रा	शिवजनम अहीर
	10309	125	279	0	02	परशुराम तिवारी	गली	शशिभूषण मिश्रा	रास्ता
	10308	105	328	0	04	गली बाद निज	पदुमदेव साह	शशिभूषण मिश्रा	गिरिवर तिवारी
				2 एकड़	78.5 डिसमिल				

Signature of land ...

Signatures on the reverse side

कार्यालय :– अंचलाधिकारी , आरा सदर
परिवारिक सूची प्रमाण – पत्र

कार्या0 क्रमांक 352 दिनांक 24.4.17

संबंधित हल्का राजस्व कर्मचारी श्री संतोष कु० सिंह एवं अंचल निरीक्षक श्री पंकज कु० सिंह के प्रतिवेदनानुसार एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत शपथ संख्या 6112 दिनांक 13-2-17 के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि श्री

श्री हरि मिश्रा पिता श्री/श्रीमती स्व० शशिभूषण मिश्रा ग्राम/मुहल्ला पंदवा आरा डाकघर पंदवा आरा थाना नवादा आरा जिला–भोजपुर

ऊपर नामित व्यक्ति का पारिवारिक सूची निम्न प्रकार है एवं इस पविरिक सूची में स्वत्व वाद का मामला प्रकाश मे आते ही परिवारिक सूची स्वत समाप्त समझी जाएगी ।

स्व0 घनश्याम तिवारी

↓

स्व0 देवन तिवारी

↓

स्व0 राम बिरीछ तिवारी पत्नी स्व0 हरदासों कुँअर

- स्व0 राम बालक तिवारी — बाल्यावस्था मे मृत्यु
- स्व0 लक्ष्मीना कुँअर उर्फ चन्द्र वदना, पति स्व0 शिवपुजन मिश्र
  - स्व0 शशि भूषण मिश्र
    - स्व0 मदन मोहन मिश्र → मु0 रूमा देवी
    - स्व0 विष्णु शंकर मिश्र → मु0 देवकान्ती देवी
    - श्री हरि मिश्र
- स्व0 चन्द्री कुँअर, पति स्व0 अवधराज उपध्याय
  - कृष्णदेव उपध्याय
  - रामाकान्त उपध्याय
  - मुखदेव उपध्याय
  - विष्णु शंकर उपध्याय

स्व0 [illegible] उर्फ शीतल तिवारी

- स्व0 हरख नारायण तिवारी (नावल्द)
- स्व0 नेतनारायण तिवारी (नावल्द)

मुहर

अंचलाधिकारी
आरा सदर

रैयत का नाम: राम विरिक्ष तिवारी
पिता/पति का नाम: देवन तिवारी
निवास स्थान: देहे,,
जाति : ब्राह्मण राजस्व थाना नंबर: 234

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार

अधिकार अभिलेख

जिला : (29) भोजपुर अंचल : (1) आरा सदर
मौजा : (3) चन्दवा

खाताधारी सं.: 2901010003000112

** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शर्ते,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शर्ते शेष अगर कोई हो

खाता नंबर	रैयत का नाम*	खेसरा नंबर	खेत चौहदी	किस्म जमीन	रकवा			दखल, दखल का स्वरुप	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान एवम सेस	**	नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत	परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम	नवैयत /जमाबंदी नं.
					ऐ°	डे°	हे°						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(₹)	11(₹)	12	13	14
113		512	पू.- डगर प.- राम सकल तिवारी उ.- मनोहर तिवारी द.- बिजाधर तिवारी	भीठ	0	51	0		1.04	0			सरहमोइन 0

जिला :(29) भोजपुर , अंचल :(1) आरा सदर, मौजा :(3) चन्दवा, खाता नंबर :113, खाताधारी सं.: 2901010003000112

चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित